न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

वाद सं0 53/13
संस्थित दिनांक 16.04.2013
निर्णय दिनांक 28.08.2019

बउनवान

1. ... लाल पुत्र रामलाल । जातिगण और निवासी परानियां
2. ... लाल पुत्र ईशरा ( ) । तहसील किशनगंज जिला बारां
3. ... पुत्र कन्हैयालाल । (राज0)

वादीगण

बनाम

1. भवानी विश्वास पुत्र रिज्वन विश्वास उर्फ कमल जाति बंगाली निवासी परानिया तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
2. चन्द्रशेखर पुत्र ईदास जाति कायस्थ निवासी घटटी तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
3. आनन्द कुमार दास पुत्र ईदास जाति कायस्थ निवासी घटटी तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय किशनगंज जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक :-28.08.2019

वादीगण वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 जरिये अभिभाषक ओ0पी0 ... इस आशय का पेश किया –

1. यह कि वाके ग्राम गोरधनपुरा पटवार हल्का परानियां तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे खसरा संख्या 1/4 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा,ख0न0 19/8 की 4 बीघा 19 बिस्वा कुल 2 किता की 13 बीघा 6 बिस्वा स्थित है जिसके पूर्व मे ख0न0 82/3 की 6 बीघा 5 बिस्वा व ख0न0 82/2 की 6 बीघा 5 बिस्वा कुल 12 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थे उपरोक्त भूमि को वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि वादग्रस्त भूमि वादी ने प्रतिवादी का 2 व 3 के पिता ईदास से वादीगण ने दिनांक 20.05.68 को जर्ये रजि0 विक्रय पत्र प्रतिफल राशि 2000/रू0 के बदले क्रय की थी और क्रय की गई वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के पिता ने भौतिक रूप से कब्जा सम्भला दिया था तभी से वादीगण वादग्रस्त आराजी को निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के पिता ईदास पुत्र ...नन्दास बंगाली ने वादग्रस्त आराजी दिनांक 05.07.1966 को दिनांक 200/– रू0 के बदले प्रतिवादी क्रम 1 भवानीविश्वास से खरीदी थी।
3. यह कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता ने जर्ये रजिस्टर्ड इकरार नामा विक्रय पत्र क्रय की है इसलिए वादीगण ही उपरोक्त भूमि के मालिक व स्वामी हो चुके है प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का उपरोक्त वादग्रस्त आराजी पर कोई स्वामीत्व नही रहा है। क्योकि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 सम्पूर्ण प्रतिफल राशि नकद प्राप्त कर अपने समस्त हक हकूक व सम्पूर्ण प्रतिफल राशि नकद प्राप्त कर अपने समस्त हक हकूक व मालिकाना

... अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 17:14:44 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

अधिकार वादीगण के पक्ष मे मुन्तकिल कर चुके है। और वादीगण वादग्रस्त आराजी रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा पर खातेदारी हक हकूको की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

5. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 का नाम वर्तमान मे चालू राजस्व रिकॉर्ड मे अवैध रूप से अंकन है इस अवैध अंकन की आढ मे प्रतिवादी क्रम 1 वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण करने व वादीगण को बेदखल करने के प्रयास मे है जिसका प्रतिवादी क्रम 1 को कोई विधिक अधिकार नही है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

6. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 व प्रतिवादी क्रम 2 व 3 पिता ने जुलाई 1998 मे अवैध रूप से वादीगण को बेदखल करने का प्रयास किया था लेकिन वादीगण ने वादग्रस्त आराजी पर से कब्जा नही छोडा और वादीगण प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 एवं उनके पिता के विरोध के बावजूद आज दिन तक काबिज चले आ रहे है इसलिए वादीगण का प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के खिलाफ एडवर्स पजेशन 12 वर्ष से अधिक का हो चुका है इसलिये एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी हक हकूको की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

7. यह कि वादग्रस्त आराजी रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा का नामांतकरण वादीगण ने अपने नाम से खुलवाने बाबत् प्रतिवादी क्रम 4 को एवं इनके अधिनस्थ अधिकारियों को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 18.12.2012 को आवेदन किया लेकिन वादग्रस्त आराजी का नामांतकरण वादीगण के पक्ष मे नही खोला गया। इस कारण वादीगण के पास वादपत्र करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है।

8. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने वादीगण को दिनांक 20.02.2013 को धमकी दी है कि वे वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करके वादीगण को बेदखल करके रहेंगे इस कारण तथा वादीगण द्वारा अपने पक्ष मे नामांतकरण खुलवाने बाबत् दिये गये आवेदन दिनांक 18.12.2012 के बावजूद नामातंकरण नही खोलने के कारण तथा इस धमकी के कारण वाद पेश करने का कारण उत्पन्न हुआ है।

9. यह कि प्रतिवादी क्रम 4 वादग्रस्त आराजी का सुप्रिम लेण्ड होल्डर है जिसको विधिक नोटिस प्रेषित किया जा चुका है। लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण विधिक नोटिस की विहित अवधि 2 माह की प्रतिक्षा किया जाना वाद पेश करने मे आवश्यक एवं समीचीन नही है प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सी0पी0सी0 वाद पत्र के साथ संलग्न है:—

10. यह कि वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे पेश है।

11. यह कि वाद पत्र उचित न्यायशुल्क पर पेश है।

12. यह कि वाद पत्र अवधि मध्य पेश है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजी ग्राम गोरधनपुरा की वर्तमान ख0न0 1/4 की 8 बीघा 7 बिस्वा एवं ख0न0 19/8 की 4 बीघा 19 बिस्वा मे से प्रतिवादी क्रम 1 का नाम हटाते हुये चालू राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण को बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उपरोक्त आराजी से वादीगण को अवैध रूप से बेदखल नही करे और न ही अपने किन्ही प्रतिनिधियों से करावे। अन्य न्यायोचित सहायता दिलायी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 17:14:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(26)

...मुकदमा सी पई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु
...सम्मन जारी किये। ... तिथि को प्रतिवादी कम 3 की ओर से एड0 विजय प्रकाश
...वकालत नामा पेश किया शामिल मिसल किया वादी अधि0 ने प्रतिवादी क्रम 1,2 की
...अखबार ... तलबाना पेश किया सम्मन जारी प्राप्त होने पर राज्य स्तर के अखबार मे
...हेतु ... करवाये गये। ... तिथि तिथि को अदम तामील सम्मन प्राप्त होने पर राज्य
...अखबार मे सम्मन जारी करवाये गये अखबार साया को तामील मानते हुये प्रतिवादी
...के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी अधिव0 प्रार्थना पत्र आदेश
...संशोधित धारा 151 सीपीसी पेश किया प्रतिवादी अधि0 प्रार्थना पत्र का जवाब
...नहीं करना चाहते सीधे बहस करना चाहते है। वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 022
...सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया संशोधित शीर्षक वादी अधिवक्ता ने पेश
...स्वीकार वादी कम 2 के सामने वृतक शब्द अंकन किया वादी क्रम 2 के कायम
...रिकोर्ड पर लिये गये। प्रतिवादी पेरोकार सरकार क्रम 4 का जवाब पेश करने पर
...बन्द किया गया। वादी अधिवक्ता ने साक्ष्यवादी मे PW-1 बाबूलाल PW-2 कंवरलाल,
...हरिमोहन PW-4 केशरीलाल के बयान लेखबद्ध करवाये जिरह वकील प्रति0 भी दौराने

...वादी PW-1 बाबूलाल ने दोहराया कि

...गोरधनपुरा के मालक मे 13 बीघा से उपर है। जो दो खसरा नम्बरों मे है 8 बीघा से
...एक है 5 बीघा की एक है भवानी विश्वास से ईदास ने खरीदी जो 1966 मे खरीदी थी
...के रामलाल, भैरूलाल कान्हा ने ईदास से 68 मे खरीदी थी। ये तीनो शान्त हो चुके है
...लाल का पुत्र कंवरलाल है भैरूलाल का बाबूलाल कान्हा का हरिमोहन है। अभी वर्तमान मे
...तीनो काश्त कर रहे है। पुरी जमीन मे वर्तमान मे गेहूं की फसल मौजूद है। ईदास का
...शान्त हो चुका है। रजिस्ट्री के समय दो गवाह थे अमरलाल अहीर दुसरा गवाह दिलीप जो
...भी मर चुके है। मेने मेरे दावे के साथ दस्तावेज पेश किये है जमाबन्दी ग्राम गोरधनपुरा
...संवत् 2066–68 प्रदर्श–1 है। भवानी विश्वास द्वारा ईदास को किया गया बेचान प्रदर्श–2 है
...भवानी विश्वास द्वारा ईदास को लिखी गई तहरीर प्रदर्श–3 है जो पत्रावली पर प्रदर्श 3 ए है।
...ईदास से खरीद की गई जमीन का इकरारनामा प्रदर्श–4 है। जिसकी फोटो प्रति पत्रावली पर
...प्रदर्श 4ए है। भैरूलाल के मृत्यु प्रमाण की प्रति पत्रावली मे पेश है। हम अदालत से जमीन
...नाते दर्ज करवाने का निवेदन करना चाहते है–

<u>जिरह वकील प्रतिवादी कम–3</u>

मृतक रामलाल के तीन संतान थी जिसमे से एक फौत हो चुकी है। दो संतान
...एक लड़का एक लड़की है। मृतक कान्हा के 6 लड़के व 3 लड़किया कुल 9 संन्ताने है।
...भैरूलाल की घरवाली शान्त हो गयी मै अकेला पुत्र हूं जमीन के ख0न0 व खाता न0 मुझे पता
...नहीं है। भवानी विश्वास ने 82 नम्बर बेचा और दुसरा कोन सा नम्बर है मुझे याद नही 50,60
...साल की बात हो गई है। रजिस्ट्री मेने नही कराई मेरे पिताजी ने कराई । वादपत्र मद नं0 1
...मे जो ख0न0 जिन ख0न0 का लिखा है उनका मिलान क्षेत्रफल पेश नही किया गवाह ने अज
...खुद कहा मिलान क्षेत्रफल तहसील किशनगंज का नही है। दावे की मद नं0 1 किस आधार
...पर लिखी गई मुझे जानकारी नही है मेरे पिताजी ने लिखाई होगी। प्रदर्श–2ए गोरधनपुरा के
...माल के सन्दर्भ मे लिखा गया है। प्रदर्श 3ए मे क्या लिखा है मै नही बता सकता पिताजी ने
...लिखाया होगा। जो प्रदर्श पत्रावली मे शामिल 2ए,2ए,4ए संलग्न है उस पर न तो वादी के न
...वादी अधि0 के सत्यापन के हस्ताक्षर है नोटेरी से प्रमाणित है।

वादी अधि0.और साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधि0 की साक्ष्यवादी समाप्त
की जाती है। प्रतिवादी अधिवक्ता कोई साक्ष्य पेश नही करना चाहते प्रतिवादी अधिवक्ता की
साक्ष्य समाप्त की जाती है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वादपत्र मे
अंकित बिन्दूओं को जिसकी फोटोप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 2 ए है। पत्रावली का अवलोकन

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 17:14:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(87)

...ली मे उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। उपरोक्त ...वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य है। अतः ...का निर्णय पारित किया जाता है कि वाकेग्राम गोरधनपुरा की आराजी वाकेग्राम ...की 8 बीघा 7 बिस्वा, ख0न0 19/8 की 4 बीघा 19 बिस्वा मे से प्रतिवादी क्रम ...हटाते हुये वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है चालू राजस्व रिकॉर्ड में ...आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो ...दिनांक 28.08.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

उपखण्ड अधिकारी किशनगंज * जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Kumar Mittal
Date: 2020.12.22 17:14:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner